भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2360

04.08.2025 को उत्तर के लिए

तेलंगाना में वन संरक्षण एवं वनरोपण योजनाएँ

2360. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से तेलंगाना में वन संरक्षण, वनरोपण और पारिस्थितिकीय पुनर्स्थापन के लिए सरकार द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना को वर्ष-वार और योजना-वार कितनी धनराशि आवंटित और जारी की गई है;

(ग) वनरोपण क्षेत्र, रोपे गए पौधे और पुनर्स्थापित की गई बंजर वन भूमि सहित उक्त योजनाओं के अंतर्गत वास्तविक लक्ष्यों और उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तेलंगाना में, विशेषकर नलगोंडा जैसे कम वनावरण वाले जिलों में उक्त योजनाओं के प्रदर्शन और प्रभाव की समीक्षा की है;

(ङ) क्या प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन योजना प्राधिकरण (सीएएमपीए), हरित भारत मिशन, या अन्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत तेलंगाना सरकार की मंजूरी या धनराशि जारी करने के लिए कोई प्रस्ताव लंबित हैं; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्तावों के अनुमोदन एवं कार्यान्वयन की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (घ): इस मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य में वनरोपण के लिए कई प्रकार से पहल की हैं। वर्ष 2019 से तेलंगाना में वन संरक्षण, वनीकरण और पारिस्थितिक पुनरुद्धार के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(i) नगर वन योजना (एनवीवाई) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वन विभागों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में वन/हरित स्थान बनाना है। इस योजना को राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण (काम्पा) द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत तेलंगाना में 1,690.6 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 60 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और पिछले पांच वर्षों में 24.72 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

(ii) प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) अधिनियम, 2016 और सीएएफ नियम, 2018 का उद्देश्य गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि के उपयोग के परिणामस्वरूप वनावरण और संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के नुकसान को कम करना है। यह लक्ष्य प्रतिपूरक वनीकरण, अवक्रमित वनों के पुनर्स्थापन, वन्यजीव पर्यावासों में वृद्धि और जैव विविधता संवर्धन जैसे कार्यकलापों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। तेलंगाना राज्य के लिए स्वीकृत निधियों का विवरण और वर्ष 2019-20 से काम्पा निधियों के तहत किए गए प्रतिपूरक वनीकरण (सीए) की स्थिति **अनुलग्नक** में दी गई है।

(iii) मंत्रालय, केन्द्रीय प्रायोजित वनाग्नि निवारण एवं प्रबंधन योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करके, वनाग्नि की रोकथाम और नियंत्रण में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रयासों में सहायता करता है। इस योजना के अंतर्गत, वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान तेलंगाना को कुल ₹4.05 करोड़ प्रदान किए गए हैं।

(iv) माताओं के प्रति प्रेम, आदर और सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वैच्छिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए 5 जून, 2024 को 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान शुरू किया गया था। वर्तमान वर्ष में, तेलंगाना ने इस अभियान के तहत 1,15,74,904 वृक्ष लगाए गए हैं।

(v) मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, वन महोत्सव, वन्यजीव सप्ताह आदि जैसे विशेष अवसरों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कार्यक्रमों में नागरिकों और हितधारकों की स्वैच्छिक भागीदारी को बढ़ावा देता है। इन कार्यक्रमों के साथ राज्य-वित्त पोषित स्कीमों से वर्ष 2019-20 से वर्ष 2024-25 की अवधि के दौरान तेलंगाना में 143 करोड़ पौधों के रोपण के माध्यम से 21.15 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वनीकरण और पुनर्वनीकरण सक्षम हुआ है।

(ङ) और (च): वर्तमान में तेलंगाना द्वारा ग्रीन इंडिया मिशन कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है, और इस राज्य के संबंध में काम्पा के अंतर्गत कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

*****

अनुलग्नक

"तेलंगाना में वन संरक्षण एवं वनरोपण योजनाएँ" के संबंध में श्री कुंदुरु रघुवीर द्वारा दिनांक 04.08.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2360 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

वर्ष 2019-2024-25 के लिए तेलंगाना राज्य में प्रतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत जारी धनराशि की स्थिति

क्र.सं.	वर्ष	अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना (करोड़ रु.)	लक्ष्य (हे. में)	उपलब्धि (हे. में)
1.	2019-20	501.26	6268.86	4414.51
2.	2020-21	483.78	4643.72	4178.16
3.	2021-22	752.71	3330.77	2490.07
4.	2022-23	772.65	2799.41	2052.71
5.	2023-24	455.3	918.771	551.12
6.	2024-25	386.8	17961.54	13686.57

*****